364

संख्या– 1240/XLIII(1)–13–05(28)15

प्रेषक,

शत्रुघ्न सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सु0भ्र0उ0ज0(सतर्कता) अनुभाग — देहरादूनः दिनांक 21 जनवरी, 2016

विषयः राज्य के महत्वपूर्ण मामलों में नीति निर्माण से पूर्व प्रस्तावित नीति को आम जनमानस में प्रसारित कर सुझाव मांगे जाने विषयक।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा राज्य में पारदर्शी एवं स्वच्छ प्रशासन प्रदान किये जाने की दिशा में निरन्तर प्रयास किया जाता रहा है। राज्य सरकार आम जनता के विचारों, भावनाओं एवं अपेक्षाओं को पूरा करने एवं उनका सम्मान बनाये रखने हेतु निरन्तर प्रयासरत है। इसी कड़ी में राज्य सरकार की यह मंशा है कि शासन, प्रशासन द्वारा नीति निर्धारण में आम जनता की भागीदारी एवं सहयोग को बढ़ाया जाये।

उपरोक्त के क्रम में यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के ऐसे नीतिगत मामले, जिनमें निर्णय लिये जाने से राज्य पर व्यापक प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, उन मामलों में नीति बनाने से पूर्व प्रस्तावित नीति आम जन–मानस में प्रसारित कर उनके सुझाव निर्धारित समयान्तर्गत प्राप्त किये जायें। आम जनता से प्राप्त उपयोगी एवं हितकर सुझावों को यथावश्यक विचार कर ही नीति निर्माण के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही की जाये। उक्त निर्णय से विचलन अपरिहार्य परिस्थितियों में व्यापक लोक हित में ही किया जाये।

2. उपरोक्त निर्णय के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महत्वपूर्ण मामलों में प्रस्तावित नीति एन0आई0सी0 के माध्यम से राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट में अथवा/तथा समाचार पत्रों में प्रसारित कर आम जनता के सुझाव निर्धारित समायान्तर्गत प्राप्त किये जायें तथा प्राप्त सुझावों/टिप्पणियों पर यथोचित विचार कर ही अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(शत्रुघ्न सिंह)
मुख्य सचिव

संख्या– 1240 /XLIII(1)–14–05(28)15 तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
प्रभारी सचिव